

197/18

जन्मत बनाम मन्नाइ

रिख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकामजोइसहुव  
की  
तामीलमेंजारीहुए

4/6/19


पत्रावली पेश हुई।

वादी वकील उप०।

वादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र राजस्व वाद को जरिये विद्धो खारिज किये जाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पत्रावली में उभय पक्षकारण के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः वादी इस राजस्व वाद में कोई अग्रीम कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है। अतः वाद को जरिये विद्धो खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

हमने वादी अधिवक्ता को सुना एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में ऐसा कथन वादी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है। अतः इस वाद का कोई ओचित्य नहीं रहा है। वादी अधिवक्ता ने वाद को जरिये विद्धो खारिज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अतः वादी के वाद को जरिये विद्धो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद इसी स्टेज पर जरिये विद्धो खारिज की जाती है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
शिव

